न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार मीना (आर ए एस)

प्रकरण संख्या 98 / 2017

राजाराम पुत्र चुन्नीराम जाति विश्नोई साकिन वार्ड न 03 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

(प्रार्थी)

बनाम

1. रूघाराम पुत्र धन्नाराम जाति स्वामी साकिन वार्ड न. 09 पुराना 25 नया, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

(अप्राथीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954
व सपठित राज भू राजस्व नियम 1970 के नियम 14 (4)

उपस्थित:--

1. श्री सुभाष विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री बाबूलाल चाण्डक, अधिवक्ता अप्रार्थी
3. पैरोकार राज, नायब तहसीलदार सूरतगढ़

निर्णय दिनांक:–20.11.2020

प्रार्थी राजाराम पुत्र चुन्नीराम द्वारा जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 व सपठित राज0 भू0 राजस्व नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत इस न्यायालय में दिनांक 19.07.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा रोही नागलिया के खसरा न. 107 में 6.325 है0 रकबा स्वयं को टी.सी. आवंटन दर्शाकर खातेदार ले लिये। रोही नागलिया उपनिवेशन क्षेत्र में था व आंशिक आज भी उपनिवेशन क्षेत्र में है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.01.2008 को अधिसूचना जारी कर जिन खसरों में पानी नहीं पहुंचता था व ना ही पानी पहुंचने की कोई संभावना थी उन रकबा को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर निकाला जो जिसमे क्रम संख्या 10 पर रोही नांगलिया के आंशिक खसरो को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर आउट ऑफ जोन घोषित किया जबकि खसरा न. 107 उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसे कभी भी उपनिवेशन से बाहर नहीं किया गया है। खसरा न. 107 के आंशिक रकबा पर सी.एल.पानी वितरिका का पानी लगता है इसलिए आऊट ऑफ जोन होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। अप्रार्थी ने रोही नांगलिया के खसरा न. 107 का 6.325 है0 रकबा को टीसी आवंटन दर्शाकर भू0राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 08.04.2017 को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। उक्त रकबा का अप्रार्थी के पक्ष मे ना तो नवीनीकरण किया गया और ही मौका पर कभी आवंटी का

20/11/20

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

कब्जा रहा। पूर्व में सन 2007–2008 में नागलिया में टीसी रकबा को पुख्ता आवंटन किया गया जिसमे नागलिया को 8 मील परिधि मे मानकर 4 गुणा कीमत पर पात्रता की जांच कर किया गया था जो कि अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर राज्य सरकार को धोखा देकर 64,000/– रूपये प्रतिबीघा कमाण्ड व 12,000/– रूपये प्रतिबीघा अनकमाण्ड का नुकसान राज्य सरकार को पहुंचाया है अतः अप्रार्थी को दिनांक 08.04.2017 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर की किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष विश्नोई एवं अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल चाण्डक हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा राही नागलिया व खसरा न 107 में 6.325 है0 रकबा स्वयं को टी.सी. आवंटन दर्शाकर खातेदार ले लिये। राही नागलिया उपनिवेशन क्षेत्र में था व आंशिक आज भी उपनिवेशन क्षेत्र में है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.01.2008 को अधिसूचना जारी कर जिन खसरा में पानी नहीं पहुंचता था व ना ही पानी पहुंचने की कोई संभावना थी उन रकबा को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर निकाला जो जिसमे क्रम संख्या 10 पर रोही नागलिया के आंशिक खसरो को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर आउट ऑफ जोन घोषित किया जबकि खसरा न. 107 उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसे कभी भी उपनिवेशन से बाहर नहीं किया गया है। खसरा न. 107 के आंशिक रकबा पर सीम नहरी वितरिका का पानी लगता है इसलिए आऊट ऑफ जॉन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अप्रार्थी ने राही नागलिया के खसरा न. 107 का 6.325 है0 रकबा को टीसी आवंटन दर्शाकर भू0राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 08.04.2017 को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। उक्त रकबा का अप्रार्थी के पक्ष मे ना तो नवीनीकरण किया गया और ही मौका पर कभी आवंटी का कब्जा रहा। पूर्व में सन 2007–2008 में नागलिया में टीसी रकबा को पुख्ता आवंटन किया गया जिसमे नागलिया को 8 मील परिधि मे मानकर 4 गुणा कीमत पर पात्रता की जांच कर किया गया था जो कि अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार को धोखा देकर 64,000/– रूपये प्रतिबीघा कमाण्ड व 12,000/– रूपये प्रतिबीघा अनकमाण्ड का नुकसान राज्य सरकार को पहुंचाया है अतः अप्रार्थी को दिनांक 08.04.2017 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को जेर प्रकरण भूमि पूर्ण जांच उपरांत दिनाक 31.07.1982 को टीसी आवंटन हुई थी। जिसका अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार प्रतिवर्ष नवीनीकरण होने, कब्जा काश्त अप्रार्थी का होने व पूर्ण जांच कर ही दिनांक 08.04.2017 नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित किया है कि अप्रार्थी को प्रदान की गई खातेदारी वाला रकबा 8 मील की परिधि में आता है , इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। न्यायिक दृष्टांत आआरटी 2007 पेज 1443 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त रकबा का आवंटन लगभग 38 वर्ष पूर्व हुआ था। यदि अब आवंटन निरस्त करते है तो अप्रार्थी के साथ अन्याय होगा। प्रार्थी द्वारा मात्रा कयासो के आधार पर एवं रंजिश के चलते यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी एक सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी को जेर रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है अब प्रार्थी का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राज भू राजस्व नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत पेश किया है

20/11/20

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

इस प्रकरण लागू नहीं होता है। राजस्व (उपनिवेशन) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जैर अपील रकबा उपनिवेशन से बाहर निकाला गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार ही जांच कर पटवारी हल्का भौतिक रूप से कब्जा जांच करवाकर ही खातेदारी अधिकारी जारी किये है। प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थी को परेशान करने व रंजिशवंश यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो बेबुनियाद होने से खारिज किया जाने योग्य है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2007 (2) पेज 1444 आरबीजे 2008 पेज 435, आरबीजे 1995 पेज 780 की ओर ध्यान दिलाया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तथा न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अप्रार्थी को दिनांक 31.07.1982 को रोही नांगलिया के खसरा न. 107 की 6.325 है0 भूमि का टीसी आवटन किया गया था जो समय समय पर नवीनीकरण होता रहा है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की खातदारी की पत्रावली से होती है। उक्त खातेदारी जारी करने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा मौका पर आवंटी का कब्जा काश्त बताया है तथा खातेदारी की पत्रावली में उपलब्ध गिरदावरी से भी मौका पर आवंटी का कब्जा होना पाया जाता है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना अनुसार रोही नांगलिया का खसरा न. 107 की 10.866 है0 रकबा को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर निकाला जाना प्रतीत होता है। साथ ही अपील रकबा अप्रार्थी को खातेदारी होने तथा रकबा पर अप्रार्थी का लगभग 38 वर्ष पुराना कब्जा होने के कारण हम अप्रार्थी को किया गया आवटन खारिज किया जाना उचित नहीं समझते ।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 08.04.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वास्ते तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़(श्री गंगानगर)

विधिविरुद्ध ढंग से दिनांक 8/04/2017 को खातेदारी अधिकार जारी कर दिये जो निरस्त योग्य है ।

Scanned by CamScanner